न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

किस्म मुकदमा :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
06/2020	29.07.2020	07.10.2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्री फूलसिंह पुत्र बद्री जाति ब्राह्म्ण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्धारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री फूलसिंह पुत्र बद्री जाति ब्राह्म्ण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि आराजी खसरा नम्बर 425 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण बाउन्ड्री तथा बाजरा फसल कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 06.08.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने जरिये भाई उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा अपने जबाब में गैरसायल की अन्यत्र स्थान पर ड्यूटी होने से अतिरिक्त जबाव हेतु तीन माह का समय चाहा गया। जो कि विधिसंगत नही होने से जबाव हेतु लगभग 30 दिवस का समय दिये जाने के बावजूद गैरसायल द्वारा अपना अतिरिक्त जबाव उपस्थित होकर इस न्यायालय में पेश नही किया गया। अतः अतिक्रमी के विरुद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री फूलसिंह पुत्र बद्री जाति ब्राह्म्ण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि खसरा नम्बर 425 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.16 रूपये का 50 गुना राशि 8 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल एवं अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली ,फसल तथा पक्का निर्माण ध्वस्त करने एवं सामग्री जप्ती ,नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)